पत्र सं0— 5 / सी0आर0—111 / 2008, गृ0आ0................... /

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

रंजन कुमार सिन्हा
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक..................2016

विषय : **सभी जिला पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) के आलेखन हेतु कार्य मूल्यांकन संकेतको के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि PAR Rules, 2007 में वार्षिक कार्य योजना (Annual Work Plan) तैयार करने एवं उसकी समीक्षा कर, तैयार वार्षिक कार्य योजना के आधार पर प्रतिवेदित पदाधिकारी (Officer Reported Upon) द्वारा कार्य उपलब्धि का उल्लेख, स्व—मूल्यांकन प्रतिवेदन (Self Appraisal Report) में करने का प्रावधान है। तद्नुसार प्रतिवेदित पदाधिकारी का कार्यो का मूल्यांकन पी0ए0आर0 में प्रतिवेदक प्राधिकारों द्वारा की जाती है।

2. उक्त के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षकों (रेल सहित) के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु कार्य संकेतको (Performance Indicators) का निर्धारण निम्नवत किया जाता है :—

1	विधि—व्यवस्था संधारण	साम्प्रदायिक घटना
		भूमि विवाद
		जातीय तनाव
2	अपराध नियंत्रण	अग्रिम गश्ती चार्ट एवं अपराध ग्रस्त क्षेत्रों में पेट्रोलिंग / गश्ती की समीक्षा
		महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों / न्यायालय सुरक्षा व्यवस्था
		अपराध ग्रस्त क्षेत्रों में आसूचना प्राप्त करना एवं प्रभावी कार्रवाई
		निरोधात्मक कार्रवाई
		वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई
		अपराध अभिलेखों का अद्यतनीकरण
		संगठित अपराध [(बैंक डकैती / लूट, फिरौती हेतु अपहरण / रंगदारी / मानव व्यापार Trafficking of child and women)]
		सक्रिय अपराधियों की निगरानी एवं निगरानी प्रस्ताव
		बलात्कार
		जमानत सत्यापन / रद्दीकरण

3	अनुसंधान नियंत्रण	पर्यवेक्षण (अत्यन्त महत्वपूर्ण अपराध)
		प्रतिवेदन–2
		कांड दैनिकी लेखन की स्थिति
		अनुसंधानकों के बीच कांडो का सम्यक वितरण
		कांडो का बुझारत थाना, अंचल कार्यालय एवं न्यायालय से कराना।
		वैज्ञानिक अनुसंधान
		परिवाद पत्र का पंजीकरण
		लंबित कांडो का प्रतिशत निर्धारण कर (विगत वित्तीय वर्ष के आलोक में) लक्षित कर निष्पादन कराना।
		प्रतिवेदन– 3, 4........ का त्रैमासिक निर्गम।
		त्वरित विचारण / अपील
4	मद्य निषेध	नई उत्पाद नीति का अनुपालन
5	कार्यालय प्रबंधन	शस्तिका कक्ष / अनुरोध कक्ष
		पुलिस केन्द्र
		पुलिस सभा
		विभागीय कार्यवाही / जाँच
		विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान का विभाजन / गुणवत्ता
		सेवांत लाभ / अनुकम्पा लाभ
		वारंट / कुर्की निष्पादन की समीक्षा
		जन–प्रतिनिधि के साथ व्यवहार
6	निरीक्षण	सभी पंजियों / अभिलेखों का अद्यतनीकरण
		थाना
		अंचल कार्यालय
		अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय
		पुलिस केन्द्र का नियमित एवं प्रभावी निरीक्षण
		यातायात प्रबंधन
7	जन– शिकायत	जनता के दरबार में "पुलिस अधीक्षक कार्यक्रम"
		जन शिकायतों का निपटारा
		लोकसेवा अधिकार अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई
		लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई
		सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई
		परिवाद पर विधि–सम्मत कार्रवाई
		आम नागरिकों के साथ व्यवहार
8	सरकारी संसाधनों का संरक्षण एवं आधुनिकीकरण	सरकारी संसाधनों का देख–रेख
		संसाधनों का विकास / नया प्रस्ताव
		कंट्रोल रुम, पुलिस केन्द्र, थाना एवं अन्य प्रतिष्ठानों के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए किया गया प्रयास।
		थानों का सुदृढ़ीकरण।
		CCTNS
9	माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायालय से संबंधित अन्य कार्रवाई	परिवाद पत्र / आदेशों का अनुपालन
		वारंट / कुर्की का निष्पादन की समीक्षा
		अभियोजन / त्वरित विचारण / त्वरित अपील
		मानवाधिकार मामलें
10	उग्रवाद	उग्रवाद / आतंकवाद से संबंधित मामलें / पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियान का नेतृत्व, महत्वपूर्ण गिरफ्तारी

3. उक्त संकेतकों के आधार पर प्रतिवेदित पदाधिकारी अपनी उपलब्धियों का पी0ए0आर0 प्रपत्र के Section-2 (Self Appraisal) की कंडिका–2 में उल्लेख करते हुए अपना स्व–मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

4. प्रतिवेदक प्राधिकार (प्रतिवेदक / समीक्षी / स्वीकरण), प्रतिवेदित पदाधिकारी के स्व–मूल्यांकन प्रतिवेदन में उल्लेखित कार्य उपलब्धि के आधार पर वार्षिक कार्य प्रतिवेदन में उनके कार्य उपलब्धि का मूल्यांकन करते हुए तद्नुसार अपनी अभ्युक्ति अंकित करेंगें।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रावधान के आलोक में जिला पुलिस अधीक्षकों (रेल सहित) के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखित करने हेतु अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव

E-Mail

ज्ञापांक–5 / सी0आर0–111 / 2008, गृ0आ0 पटना, दिनांक..........................2016

प्रतिलिपि :– सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक / सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी जिला पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–5 / सी0आर0–111 / 2008, गृ0आ0 5390 पटना, दिनांक 14/7/2016

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव